न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़

इजलास – त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 19/2016
तारीख दायर : 30.03.2016

अनवान

1. अयोध्या देवी पुत्री मोहनलाल जाति पारीक ब्राह्मण निवासी सरथला तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––वादिया

बनाम

1. मोहनलाल पिता भूरालाल जाति ब्राह्मण निवासी सरथला तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
2. रामगोपाल पिता भूरालाल जाति ब्राह्मण निवासी सरथला तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
3. शाखा प्रबन्धक सहकारी भूमि विकास बैंक माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री अनिल पारीक (अधिवक्ता वादिया)
2. श्री महेश चन्द्र सुखवाल (अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2)
3. तहसीलदार माण्डलगढ़ प्रतिवादी संख्या 4 ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित।

वादपत्र अर्न्तगत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 28.01.2020

वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अंतर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाद नियमित सुनवाई इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.06.2018 को राजस्व लोक अदालत एवं कैम्प कोर्ट अभियान ''न्याय आपके द्वार'' मुकाम सरथला में पक्षकारान की आपसी सहमति से प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम सरथला पटवार मण्डल सरथला तहसील माण्डलगढ़ में स्थित आराजी संख्या 116, 116/1, 489, 490, 511, 514, 525 किता 7 रकबा 64 बीघा 04 बिस्वा भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्राथमिक डिक्री के आदेश दिये जाकर तहसीलदार माण्डलगढ़ को विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया।

तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा आदेशानुसार बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 26.12.2019 को विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता सुनी गई। पक्षकार तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव से सहमत है।

अतः वाद वादिया अंतर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :–

क्र. सं.	नाम खातेदार	मौजा	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1	मोहनलाल पिता भूरालाल ब्राह्मण सा. देह खातेदार	सरथला	116/2 490/1	5.00 5.13	1.50 12.99
	योग		**किता 2**	**10.13**	**14.49**

2	रामगोपाल पिता भूरा लाल ब्राह्मण सा. देह खातेदार	सरथला	116 490 514	18.14 5.12 7.15	5.61 21.80 2.33
	योग		**किता 3**	**32.01**	**29.74**
3	प्रमोद पिता रामगोपाल दत्तक पु. मोहन लाल ब्राह्मण सा. देह खातेदार	सरथला	116/3 511	7.06 3.08	2.19 1.02
	योग		**किता 2**	**10.14**	**3.21**
4	अयोध्यादेवी पुत्री मोहनलाल पारीक ब्राह्मण सा.देह खातेदार	सरथला	116/4 525	6.08 4.05	1.92 19.13
			किता 2	**10.13**	**21.05**
5	मोहनलाल पिता भूरालाल 1/6 अयोध्यादेवी पुत्री मोहनलाल 1/6 प्रमोद पिता रामगोपाल दत्तक पुत्र मोहनलाल रामगोपाल पिता भूरालाल 1/2 ब्राह्मण सा.देह खातेदार	सरथला	116/1 489	0.02 0.01	—
	योग		**किता 2**	**0.03**	—

उक्तानुसार खातेदारों के नाम पर भूमि पृथक पृथक दर्ज किए जाने के आदेश दिये जाते है। वकील वादी द्वारा नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेश करने पर डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(त्रिलोक चन्द मीना)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Trilok Chand Meena
Date: 2020.01.28 18:37:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: